

हरिद्वार—रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

78वें बोर्ड बैठक का एजेण्डा



दिनांक: 04/09/2023

समय:— अपराह्न 04:00 बजे

स्थान :— हरिद्वार—रुड़की विकास प्राधिकरण, सभागार

१०४४२-३७का। विकास प्राधिकरण, हारिद्वार की 78 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.09.2023 हेतु प्रस्तावित एजेण्डा मद

मद	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्राधिकरण की 77 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.06.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	01
2	हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण की 77 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.06.2023 की अनुपालन आख्या।	02 से 09 तक
3	शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है के प्रकरणों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त क्रमांक 09 में निर्दिष्ट को दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	10
4	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-01 के अन्तर्गत निर्मित युप हाउसिंग योजनान्तर्गत आवंटन से रिक्त 2बी०एच०क०० भवनों को किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में।	11
5	हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण में कार्यरत तकनीकी सुपरवाईजर के वेतन भत्ते आदि के सम्बन्ध में।	12
6	हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण में कार्यरत संविदा कार्मिकों के वेतन आदि के सम्बन्ध में।	13
7	हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण से सेवा निवृत्त हो रहे तकनीकी अधिकारी/कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में।	14
8	हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण में रिक्त अवर अभियन्ता के पदों पर तैनाती विषयक।	15
9	जनपद हरिद्वार में एकता मॉल (Unity Mall) के निर्माण हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में	16
10	आवेदक श्री ब्रजपाल सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह व श्री सन्नी सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह एवं श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री महिपाल सिंह आदि द्वारा ग्राम गाढोवाली परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार, खसरा नं० 50 रकबा 9900 वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	17
11	आवेदक श्री घसीटू सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह द्वारा अत्मलपुर बौंगला हरिद्वार स्थित खसरा नं० 470 रकबा 9973 वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	18
12	आवेदक स्वामी आत्मानन्दपुरी शिष्य स्वामी गणेशपुरी एवं श्रीमती प्रतिमा चौहान पत्नी श्री एम०एस० चौहान द्वारा सज्जनपुर पीली, परगना तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा नं० 111 मि०, 121मि० रकबा 9947 वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	19
13	प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2(बी) के तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	20
14	शासनादेश संख्या-2104/वी-२-2017-53(आ०)/2014 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा प्राधिकरण के सृजित पदों में वृद्धि के संबंध में।	21 से 22 तक
15	प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों पर निर्धारित समयावधि के अन्दर निर्माण करने के प्रतिबन्ध के निरस्तीकरण तथा सरचार्ज की वसूली के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में।	23
16	किराये पर उठी अमित्तव्ययी सम्पत्ति को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	24
17	मैसर्स जगत एन्टरप्राइजेज ज्वालापुर, द्वारा पार्टनर :-सरदार इन्द्रजीत सिंह पुत्र सरदार जगत सिंह निवासी:-आर्यनगर ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा खसरा नं० 873, 872मि०, 859मि०, ग्राम-अहमदपुर कङ्कल,	25 से 27 तक

	परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार में व्यवसायिक निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में।	
18	प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी)के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के आवंटियों से देय धनराशि को जमा करने में विलम्ब के लिए देय विलम्ब शुल्क की धनराशि को माफ कराये जानेके सम्बन्ध में	28 से 29 तक
19	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।	30


(b)

पत्रावली संख्या /प्रशान्त-2(क)-22/79/2023-24

मद संख्या 78-(01)

प्राधिकरण की 77 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.06.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि:-

प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.06.2023 को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 77वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाये।


अधिकारी अधिकारी
हरिहार-तड़की विभास प्राधिकरण
करिहार

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 78 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04-09-2023 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 78वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04-09-2023 को मात्र अध्यक्ष, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में प्राधिकरण समागम में आयोजित की गई :—

बैठक की उपस्थिति :—

1. श्री विनय शंकर पाण्डेय, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष, एच.आर.डी.ए.
2. श्री धीराज गव्याल, जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. श्री अंशुल सिंह, उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0
4. सुश्री नीतू भण्डारी, मुख्य कोषाधिकारी हरिद्वार (सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)
5. श्रीमती मंजू, अधिशासी अभियन्ता (सचिव, संचाई विभाग के प्रतिनिधि)
6. श्रीमती सीमा नौटियाल, जिला पर्यटन अधिकारी (सचिव, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि)
7. एम.मुस्तफा, अधीक्षण अभियन्ता (सचिव, पेयजल विभाग के प्रतिनिधि)
8. श्री शशि शोहन श्रीवास्तव, सी.टी.सी.पी. (नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)
9. श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर
10. श्री दयानन्द सरस्वती, नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार।

अध्यक्ष
पदेन सदस्य
उपाध्यक्ष
पदेन सदस्य
पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा आयुक्त/ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :—

मद संख्या-78 (01)

प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23-06-2023 के कार्यवृत्त /अनुपालना की

पुस्ति की गई। तदनुसार प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

मद संख्या 78-(02)

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की 77 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.06.2023 की अनुपालन आख्या :-

मद सं	एजेण्डा मद	निर्णय	अनुपालन
70(05)	हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल ८८ पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों के सम्बन्ध में।	हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत 23 मार्च (शहीद पार्क) के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों शीर्ष प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये। 02. गोविन्द घाट, परशुराम घाट, गोविन्दपुरी हरिद्वार में पार्क निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तर गग्न नहर रुड़की (उ०प्रा.) को एन०आ०सी० दिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर उनके द्वारा पत्र के माध्यम से एन०आ०सी० दिये जाने में असमति व्यक्त की गई जिस पर बोर्ड द्वारा सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ को एन०आ०सी० हेतु सन्दर्भित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत 23 मार्च पार्क (शहीद पार्क) के उद्यानीकरण/सौन्दर्यीकरण/विकास कार्य हेतु अनुबन्ध संख्या 21/2022-23 (उद्यान) लागत रु०. 166.75 लाख का निष्पादन किया जा चुका है। प्रश्नगत कार्य को जनवरी 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(10)	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ० कडच्छ से लगकर गुरुद्वारा रोड ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण कार्य के लिए अनुमोदित रु०. 1278.09 लाख की स्वीकृति के अनुसार कार्य को शीर्ष प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये।	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ० कडच्छ से लगकर गुरुद्वारा रोड ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण कार्य के लिए अनुमोदित रु०. 1278.09 लाख की स्वीकृति के अनुसार कार्य को शीर्ष प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 2588 दिनांक 09.08.2023 के द्वारा बोर्ड निर्णय के अनुसार कार्य को शीर्ष प्राथमिकता से कराते हुए कार्य की अव्यावधिक स्थिति के साथ फोटोग्राफ सहित अवगत कराते हुए भुगतान की गयी राशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।
72(04)	हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में कय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार अवस्थापना विकास कार्यों हेतु रु०. 1827.22 लाख रुपैयांति प्रदान करते हुए कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये।	हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में कय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार अवस्थापना विकास कार्यों हेतु रु०. 1827.22 लाख रुपैयांति प्रदान करते हुए कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु निवेदा दिनांक 08.09.2023 को आमंत्रित की गयी।

मद संख्या-78 (02)

70 (05) हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत 23 मार्च (शहीद पार्क) के सौन्दर्यकरण एवं विकास कार्य अनुबन्ध के अनुसार शीर्ष प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश। तदनुसार प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

2-गोविन्द घाट, परशुराम घाट, गोविन्दपुरी हरिद्वार में पार्क निर्माण एवं सौन्दर्यकरण किये जाने हेतु सचिव, सिंचाइ विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ से एन०ओ०सी० प्राप्त होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये। तदनुसार प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

70 (10) मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-116 /2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ० कड़छ से लगकर गुलदारा रोड ज्यालापुर तक नाले का सुटूँडीकरण कार्य के लिये अनुमोदित रु० 1278.09 लाख की स्वीकृति के अनुसार कार्य को 02 माह की अन्तिम समय सीमा के अन्दर शीर्ष प्राथमिकता से कराये जाने /कार्यदाती संस्था के अधिशासी अभियन्ता को बोर्ड के समक्ष उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-72 (04) हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में क्रय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी अनुपालना से सहमति व्यक्त करते हुए पानी निस्तारण की समुचित व्यवस्था के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

72(05)	<p>प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के आवंटियों से ससमय धनराशि जमा कराने तथा भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राधिकरण अंशदान प्राप्त किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये।</p>	<p>प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के आवंटियों से ससमय धनराशि जमा कराने तथा भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राधिकरण अंशदान प्राप्त किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये।</p>	<p>बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 375 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा अवशेष केन्द्रांश की राशि रु0. 475.20 लाख को अवमुक्त किये जाने हेतु उडा से अनुरोध किया गया। उडा द्वारा अपने पत्र संख्या 546 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रवान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय किस्त हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के डैसबोर्ड पर लाभार्थियों की सम्बद्धता श्रीणीवार की जानी आवश्यक है। जिसके उपरान्त ही भारत सरकार के उक्त मंत्रालय द्वारा द्वितीय किस्त अवमुक्त की जा सकती है। भारत सरकार के डैसबोर्ड पर लाभार्थियों की सम्बद्धता का कार्य शहरी विकास निदेशालय के प्रतिनिधि द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।</p>
72(08)	<p>प्राधिकरण की सम्पत्तियों के स्थूलेशन पर 01 प्रतिशत स्थूलेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा निर्देश दिये कि पुनः शासन को अनुस्मारक प्रेषित किया जाय।</p>	<p>प्राधिकरण की सम्पत्तियों के स्थूलेशन पर 01 प्रतिशत स्थूलेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा निर्देश दिये कि पुनः शासन को अनुस्मारक प्रेषित किया जाय।</p>	<p>बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 371 दिनांक 16.08.2023 द्वारा शासन को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर शासन स्तर से वर्तमान तक कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) का कार्यालय के पत्र संख्या 2597 दिनांक 10.08.2023 द्वारा विधिक मन्त्रालय उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया। जिसके परिपेक्ष में जिला शासकीय अधिवक्ता की प्राप्त आख्या निम्नवत है “विभिन्न योजनाओं में निर्मित बहुमंजली भवन में प्रत्येक अपार्टमेन्ट/फ्लैट अर्थात् एक स्व-निहित आवास इकाई (एक प्रकार की आवासीय अचल सम्पत्ति हैं) जो आमतौर पर एक इमारत का हिस्सा होती है। ऐसे में प्रत्येक फ्लैट/अपार्टमेन्ट को विधिक रूप से एक इकाई माना जायेगा। Unit means a single unit providing complete independent living facilities for one or more persons including permanent provision for living , sleeping , eating , Cooking and sanitation,”</p> <p>अतः जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) को उपरोक्त आख्यानुसार प्राधिकरण स्तर से ही नामान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु</p>

अधिकारी प्रतिवेदन
निर्देशालय आवास

मद संख्या-72 (05) प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्दलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आवास वर्ग के भवनों के आवंटियों से सम्बन्धित धनराशि जमा कराने तथा भारत सरकार /राज्य सरकार से प्राधिकरण अंशदान प्राप्त किये जाने सम्बन्धी अनुपालना से सहमति व्यक्त की गई।

मद संख्या-72 (08) प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवासीय इकाई माने जाने सम्बन्धी जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) की राय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

मद संख्या-72 (10) प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना नगर निगम हरिद्वार को Hand Over किये जाने विषयक प्रस्ताव पर जनहित में एक माह के अन्दर नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार /सचिव, एचओआरओडीए० को कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने के निर्देश आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये।

मद संख्या-74 (04) प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-74 (10) प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-74 (12) प्राधिकरण लैण्डबैंक हेतु भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त मैसर्व ए०एम०डी० इण्डस्ट्रीज की ग्राम पदार्थ धनपुरा हरिद्वार की भूमि क्रय किये जाने के लिए उक्त भूमि के आस-पास की भूमि की कीमत का मूल्यांकन स्पष्ट सर्वे रिपोर्ट एवं उपयोगिता के साथ आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार एवं उपाध्यक्ष, एचओआरओडीए० की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman Commissioner

(5)

			प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।
72(10)	प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्ड/भवनों के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना नगर निगम, हरिद्वार को Hand Over किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जनहित में नगर निगम को शीर्ष प्राथमिकता से हस्तान्तरित किया जाय, जिससे भवन कर से नगर निगम की आय सुदृढ़ होगी, योजना हस्तान्तरण से स्वामित्व प्राधिकरण का ही रहेगा।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में हरिलोक आवासीय योजना नगर निगम, हरिद्वार को Hand Over किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या 2722 दिनांक 21.08.2023 द्वारा आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार को प्रेषित किया गया है। इसके उपरान्त प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर लिया गया है। संयुक्त स्थल निरीक्षण आख्या के आधार पर योजना को Hand Over किया जाना है।
74(12)	प्राधिकरण लैण्डबैंक हेतु भूमि क्य किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण लैण्डबैंक हेतु भूमि क्य किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तदोपरान्त मैसर्स ५०५००८०० इण्डस्ट्रीज की ग्राम पदार्थ धनपुरा हरिद्वार की भूमि क्य किये जाने के लिए उक्त भूमि के आस-पास की भूमि की कीमत का मूल्यांकन एक समिति से अधिशासी अभियन्ता, एच०आर०डी०५० तहसीलदार हरिद्वार, प्राधिकरण तहसीलदार, सम्पत्ति अधिकारी जिसमें सम्मिलित होंगे, से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के कम में कार्यालय जाप संख्या 2427 दिनांक 31.07.2023 द्वारा मैसर्स ५०५००८०० इण्डस्ट्रीज की ग्राम पदार्थ धनपुरा हरिद्वार की भूमि क्य किये जाने के लिए आस-पास की भूमि का मूल्यांकन किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया। जिसमें अधिशासी अभियन्ता ह०८००५००१०, तहसीलदार हरिद्वार जनपद हरिद्वार, श्री कृष्णपाल सिंह, प्राधिकरण तहसीलदार एवं सम्पत्ति अधिकारी ह०८००५००१० सदस्य नामित हैं। समिति की आख्यानुसार लैण्ड बैंक की स्थापना हेतु भूमि क्य किये जाने की विज्ञप्ति संख्या 2713 दिनांक 19.08.2023 के आधार पर इच्छुक भूस्वामियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के परीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
74(14)	सुमन नगर सहित कृषि भू-उपयोग में निर्मित अनाधिकृत कालोनियों के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सुमन नगर सहित कृषि भू-उपयोग में निर्मित अनाधिकृत कालोनियों के भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई पदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा टी०एच०डी०सी० से एन०ओ०सी० प्राप्त कर प्रकरण में शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त करते हुए शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही किये जानेके निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 2598 दिनांक 10 अगस्त 2023 द्वारा टिहरी विस्थापित क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित एवं निर्मित कालोनियों के नियमितकरण हेतु टी०एच०डी०सी० से एन०ओ०सी० प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी टिहरी / पुर्नवास निवेशक, टिहरी बाध पुर्नवास योजना टिहरी को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

मद संख्या 75(12)	शाखा कार्यालय रुडकी स्थापना के सम्बन्ध में।	<p>शाखा कार्यालय रुडकी की स्थापना के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि रुडकी में नजूल आदि की भूमि यदि उपलब्ध है तो उसे जिलाधिकारी स्तर प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये।</p>	<p>बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि ज्वाइंन्ट मजिस्ट्रेट रुडकी/संयुक्त सचिव शाखा रुडकी के साथ प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा एवं रुडकी में क्षेत्रीय नियोजन किया गया। नियोजन उपरान्त पाया गया कि रुडकी में सरकारी/नजूल भूमि शाखा कार्यालय की स्थापना हेतु मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। मानकों एवं उपयुक्त स्थल हेतु निजी कास्टकारों की भूमि तलाश कर क्या की जा सकती है।</p> <p>प्रकरण विस्तृत विवरण सहित बोर्ड बैठक के मद संख्या 03 पर पृथक से प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
मद संख्या 75(13)	शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू-विभाजन जिसकी त्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है के प्रकरणों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त क्रमांक 09 में निर्दिष्ट को दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निघरित किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू-विभाजन जिसकी त्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है सम्बन्धी प्रकरण पर सी0टी०सी0पी० अधिशासी अभियन्ता एवं ०आर०डी००७० एवं सम्बन्धीत सहायक अभियन्ताओं की गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत ०८ बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त नई प्रचलित भवन उपविधि अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>प्रकरण विस्तृत विवरण सहित बोर्ड बैठक के मद संख्या 03 पर पृथक से प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
मद संख्या 77(03)	हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वास्तविक तथा वर्ष 2023-24 का प्रस्तावित आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से वर्ष 2023-24 के प्रस्ताव आय-व्ययक को अनुमोदित किया गया।	<p>हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वास्तविक तथा वर्ष 2023-24 का प्रस्तावित आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से वर्ष 2023-24 के प्रस्ताव आय-व्ययक को अनुमोदित किया गया।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।</p> <p>अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
मद संख्या 77(04)	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 108681/2023 देहरादून दिनांक 23.03.2023 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में विद्युत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में प्राविधान किए जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	<p>उत्तराखण्ड आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 108681/2023 देहरादून दिनांक 23.03.2023 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में विद्युत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में प्राविधान किए जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में उक्त संशोधित भवन उपविधि को अंगीकृत करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है। जिसकी सूचना कार्यालय पत्र संख्या 352 दिनांक 11.08.2023 द्वारा शासन को प्रेषित की जा चुकी है तथा अंगीकृत की गयी उपविधि के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है।</p> <p>अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>

लैटर वुड नं. ३५२, देहरादून, उत्तराखण्ड - २४७००११

मद संख्या-75 (12)

शाखा कार्यालय रुड़की की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त रुड़की में वर्तमान भवन जिसमें शाखा कार्यालय स्थित है उसका विस्तारीकरण /जीर्णोद्धार कराये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

मद संख्या-75 (13)

शमन उपचिह्न में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है सम्बन्धी प्रकरण पर सी0टी0सी0पी0, अधिशास्ती अभियन्ता एच0आर0डी0ए0 एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं की गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत 08 विन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सी0टी0सी0पी0 द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों में एम0डी0डी0ए0 द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जा रही है जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा एम0डी0डी0ए0 में अपनायी जा रही प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए तदनुसार एच0आर0डी0ए0 में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-75 (16.02)

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-76 (01)

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-77 (03)

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-77 (04)

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-77 (05)

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-77 (06)

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-77 (07)

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-77 (08)

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-77 (09)

प्रकरण को एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-77 (10)

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


मद संख्या-77 (11)


प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-77 (12)

प्रकरण को एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/ Commissioner

मद संख्या 77(05)	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग—2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 105911 /2023 देहरादून दिनांक 13.03.2023 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में सेलुलर/मोबाईल/वेसिक टेलिफोनहेतु टावर निर्माण से सम्बन्धित प्राविधानों, विन्चु संख्या—7.22 में अग्रेतर संशोधन करने की वृष्टि से निम्नलिखित संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग—2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 105911 /2023 देहरादून दिनांक 13.03.2023 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में सेलुलर/मोबाईल/वेसिक टेलिफोनहेतु टावर निर्माण से सम्बन्धित प्राविधानों, विन्चु संख्या—7.22 में अग्रेतर संशोधन करने की वृष्टि से निम्नलिखित संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में उक्त संशोधित भवन उपविधि को अंगीकृत करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है। जिसकी सूचना कार्यालय पत्र संख्या 352 दिनांक 11.08.2023 द्वारा शासन को प्रेषित की जा चुकी है तथा अंगीकृत की गयी उपविधि के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है।
मद संख्या 77(06)	ग्राम आन्नेकी हेतमपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड खसरा नं 1533 मि० पर श्री पंकज कुमार पुत्र श्री मैनपाल निवासी ग्राम सलेमपुर महदूद परगना रुड़की तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत मानचित्र आवेदन में फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	ग्राम आन्नेकी हेतमपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड खसरा नं 1533 मि० पर श्री पंकज कुमार पुत्र श्री मैनपाल सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर महदूद परगना रुड़की तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत मानचित्र आवेदन में फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सी०टी०सी०पी० को कार्यालय पत्रांक 2209 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आख्या हेतु निर्देशित किया जा चुका है। सी०टी०सी०पी० की आख्या उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जा सकेगी।	प्रकरण में बोर्ड द्वारा सी०टी०सी०पी० से परीक्षण आख्या प्राप्त करने की दशा में भवन उपविधि के अनुसार मानचित्र स्वीकृति के अनुसार मानचित्र स्वीकृति को कार्यालय पत्रांक 2209 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आख्या हेतु निर्देशित किया जा चुका है। सी०टी०सी०पी० की आख्या उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जा सकेगी।
मद संख्या 77(07)	ग्राम रानीपुर, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड का खसरा नं० 806/2 व 807/1/3 पर शिवालिक ट्रेडिंग कम्पनी पार्टन श्री दिनेश गोयल पुत्र स्व० श्री शिव नारायण गोयल ग्राम रानीपुर में आवासीय भू उपयोग के अन्तर्गत होटल मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	ग्राम रानीपुर, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड का खसरा नं० 806/2 व 807/1/3 पर शिवालिक ट्रेडिंग कम्पनी पार्टन श्री दिनेश गोयल पुत्र स्व० श्री शिव नारायण गोयल ग्राम रानीपुर में आवासीय भू उपयोग के अन्तर्गत होटल मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सी०टी०सी०पी० से ऑनलाइन चर्चा की गयी तदोपरान्त प्रकरण को भवन उपविधि के अनुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया।	प्रकरण में सी०टी०सी०पी० से आनालईन चर्चा उपरान्त भवन उपविधि के अनुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया।

अधिकारी का दस्तावेज़

प्रधानमंत्री का दस्तावेज़

१५ संख्या ७७(३)	आवासीय योजना भाग-१ के अन्तर्गत युप हाउसिंग योजना में निर्मित भवनों के विकाय/आवंटन हेतु पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में	प्राधिकरण का इन्द्रलाल आवासीय योजना भाग-१ के अन्तर्गत युप हाउसिंग में निर्मित भवनों के विकाय/आवंटन हेतु पंजीकरण खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तदोपरान्त ०३ माह हेतु पहले आओ पहले पाओं के आधार पर पंजीकरण खोले जाने एवं पुनः भवनों की लागत का परीक्षण किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	बाल द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन न इन्द्रलाल आवासीय योजना भाग-१ के अन्तर्गत युप हाउसिंग में निर्मित एवं रिक्त भवनों के पंजीकरण एवं व्यवसायिक भूखण्ड/स्कूल भूखण्ड के विकाय हेतु निवादा सह-निलामी तथा उक्त के अतिरिक्त एवं हरिलोक योजना में रिक्त भवनों के विकाय हेतु निवादा सह-निलामी के माध्यम से पंजीकरण खोले गये हैं।
मद संख्या ७७(४)	ठिहरी विस्थापित क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित एवं निर्मित कालोनियों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	ठिहरी विस्थापित क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित एवं निर्मित कालोनियों के नियमितिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तदोपरान्त सी०टी०सी०पी० की आव्या टी०एच०डी०सी० से एन०ओ०सी० प्राप्त कर आगामी बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या २५९८ दिनांक १० अगस्त २०२३ द्वारा ठिहरी विस्थापित क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित एवं निर्मित कालोनियों के नियमितिकरण हेतु टी०एच०डी०सी० से एन०ओ०सी० प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ठिहरी/पुर्नवास निदेशक, ठिहरी बांध पुर्नवास योजना ठिहरी को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
मद संख्या ७७(५)	हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत आवास विकास परिषद में आवासीय भूखण्ड पर निर्मित व्यावसायिक भवनों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत आवास विकास परिषद में आवासीय भूखण्डों पर निर्मित व्यावसायिक भवनों के नियमितिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तदोपरान्त प्रकरण आवास विकास परिषद उत्तराखण्ड देहरादून को विस्तृत रिपोर्ट सहित सन्दर्भित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में विस्तृत विवरण सहित प्रकरण शासन एवं आवास विकास परिषद देहरादून को कार्यालय पत्र संख्या ३८२ दिनांक १८.०८.२०२३ द्वारा संदर्भित किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
मद संख्या ७७(६)	हरिद्वार महायोजना-२०२५ की विसंगतियों के सम्बन्ध में	हरिद्वार महायोजना-२०२५ की विसंगतियों सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तदोपरान्त सी०टी०सी०पी० को अमृत महायोजना-२०४१ में विसंगतियों को दूर किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, विभाग देहरादून को अपेक्षित कार्यवाही हेतु कार्यालय पत्र संख्या ३२० दिनांक ०४.०८.२०२३ प्रेषित किया गया है।


 अधिकारी अधिकारी
 हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण
 हरिद्वार

मद संख्या-77 (13) प्राधिकरण की इन्डलोक आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत मुप हाउटिंग में निर्मित भवनों /व्यवसायिक भूखण्ड /स्कूल भूखण्ड के विक्रय हेतु निविदा सह-नीलामी तथा उक्त के अतिरिक्त हारिलोक योजना में रिक्त भवनों के विक्रय हेतु निविदा सह-नीलामी के माध्यम से पंजीकरण खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की अनुपालना पर सहमति व्यक्त की गई।


मद संख्या-77 (14) टिहरी विस्थापित क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित एवं निर्मित कालोनियों के नियमितीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तदोपरान्त सी०टी०सी०पी० की आख्या टी०एच०डी०सी० ते एन०ओ०सी० प्राप्त कर आगामी बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

मद संख्या-77 (15) प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-77 (16) हरिद्वार महायोजना-2025 की विसंगतियों सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तदोपरान्त सी०टी०सी०पी० को अमृत महायोजना-2041 में विसंगतियों को दूर किये जाने / कार्यदारी संस्था के साथ सी०टी०सी०पी० द्वारा प्रत्येक माह की प्रगति रिपोर्ट से उपाध्यक्ष, एच०आर०डी०ए० को अवगत कराने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

मद संख्या-78 (03) शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है के प्रकरणों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त क्रमांक 09 में निर्दिष्ट को


Secretary


Vice Chairman


Chairman/ Commissioner


मद संख्या 78 (03)

शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है के प्रकरणों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त क्रमांक 09 में निर्दिष्ट को दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक प्रकरण प्राधिकरण की 75 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2022 के मद संख्या 13 पर प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के 02 सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तराखण्ड की समिति गठित करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। गठित समिति द्वारा अपनी आख्या दिनांक 13.04.2023 को प्रस्तुत की गयी। जिसे अनुपालन आख्या के रूप में प्राधिकरण की 77 वीं बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत 08 बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अवर अभियन्ताओं एवं अनाधिकृत कालोनी के भूखण्ड धारकों से विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि कालोनी के अन्तर्गत अधिकतर भूखण्डों का विक्य किया जा चुका है। जिसमें भूखण्ड धारक अपना मानचित्र स्वीकृत करते हुए निर्माण कार्य करना चाहते हैं। किन्तु प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार कालोनी के अन्दर मार्गों की चौड़ाई मानकों के अनुरूप न होने के कारण मानचित्र स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं। इन कालोनी के भूखण्ड धारकों की संख्या अधिक होने के कारण मानचित्र स्वीकृति हेतु निरन्तर प्राधिकरण में अनुरोध किया जा रहा है। अतः व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए 75 वीं बोर्ड बैठक में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 13.04.2023 के अनुसार इन कालोनियों के व्यक्तिगत भूखण्ड धारकों के मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष पुर्णविचार हेतु प्रस्तुत है।

अधिशासी अभियन्ता
हरिहर-इन्डिया विभाग प्राधिकरण
लखनऊ



मद संख्या 78 (04)

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-01 के अन्तर्गत निर्मित ग्रुप हाउसिंग योजनान्तर्गत आवंटन से रिक्त २बी०एच०के० भवनों को किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकारण द्वारा इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-01 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग योजना का निर्माण किया गया है। जिसमें ९६ ०२बी०एच०के० भवनों का निर्माण भी सम्मिलित है। निर्मित ९६ भवनों में से १२ भवनों का आवंटन किया जा चुका है तथा ८४ भवन आवंटन से रिक्त हैं। भवनों को निर्मित हुए कई वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है। भवन आवंटित न होने के कारण भवन बन्द रहते हैं तथा इनका अनुरक्षण नहीं हो पा रहा है ऐसी दशा में भवनों के सुचारू रख-रखाव एवं उपयोग के दृष्टिगत भवनों को किराये पर दिये जाने का प्रस्ताव है। आवंटन से रिक्त भवनों में से ८० प्रतिशत अर्थात् ६७ भवन किराये पर तथा शेष २० प्रतिशत अर्थात् १७ भवन विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे। भवनों का मासिक किराया निर्धारण हेतु प्राधिकरण स्तर पर सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें उपजिलाधिकारी हरिद्वार, मुख्य वित्त अधिकारी हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण, अधिशासी अभियन्ता हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण एवं अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सदस्य होंगे, के माध्यम से निर्धारित किया जायेगा। जिसमें भवन किराये के अतिरिक्त अनुरक्षण शुल्क भी रहेगा। भवनों को किराये पर दिये जाने की अधिकतम सीमा ०३ वर्ष रहेगी तथा किरायेदार के साथ ११ माह का अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। तदनुसार निर्धारित भवन मूल्य को आगामी ०३ वर्षों तक फ़ीज किया जाना भी उचित होगा।

उपरोक्त भवनों के विक्रय हेतु प्राधिकरण स्तर से अनेक बार प्रयास किये जाने के बावजूद भी भवनों के आवंटन में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही हैं तथा भवन बन्द होने के कारण इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। योजना में बसावट एवं अनुरक्षण के दृष्टिगत इन्हें किराये पर दिये जाने से योजना एवं भवनों का सुचारू अनुरक्षण हो सकेगा तथा जन सामान्य इसे खरीदने हेतु प्रेरित भी होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-01 के अन्तर्गत विकसित ०२ बी०एच०के० भवनों को किराये पर दिये जाने तथा भवन मूल्य को आगामी ०३ वर्षों तक फ़ीज किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


अधिशासी अभियन्ता
हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण
लोकालय

दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित किये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त निर्णय लिया गया कि सी०टी०सी०पी० द्वारा अवगत कराया गया कि इस तरह के प्रकरणों पर एम०डी०डी०ए० द्वारा कार्यवाही की गई जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा एम०डी०डी०ए० की कार्यवाही का अध्ययन करते हुए तदनुसार एच०आर०डी०ए० को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-78 (04) हन्दलोक आवासीय योजना भाग-01 के अन्तर्गत निर्मित ग्रुप हाउसिंग योजनान्तर्गत आवंटन से रिक्त 2 बी०एच०क०० भवनों को किटाये पर दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-78 (05) हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण में कार्यरत तकनीकी सुपरवाईजर के वेतन भल्ले आदि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा वाहन भल्ला रु० 1200/- प्रतिमाह दिये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

मद संख्या-78 (06) हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण में कार्यरत संविदा कार्मिकर्ता के वेतन आदि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्तरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-78 (07) हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण से सेवा निवृत्त हो रहे तकनीकी अधिकारी/कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि


Secretary



Vice Chairman


Chairman/Commissioner

मद संख्या 78 (05)

हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण में कार्यरत तकनीकी सुपरवाईजर के वेतन भत्ते आदि के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 2104 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण के पदों का पुनर्गठन किया गया है। जिसमें अवर अभियन्ता के 11 पद तथा तकनीकी सुपरवाईजर के 17 पद सर्जित हैं सृजित पद के सापेक्ष वर्तमान में 03 अवर अभियन्ता तैनात हैं तथा आउट सोर्सिंग के माध्यम से 17 तकनीकी सुपरवाईजर कार्य रहे हैं। प्राधिकरणों के कार्यों के निष्पादन में अवर अभियन्ता की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है किन्तु अवर अभियन्ताओं की कमी के कारण कार्यों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है। प्राधिकरण में आउट सोर्सिंग से तैनात तकनीकी सुपरवाईजर जिनकी योग्यता त्रिवर्षीय डिलोमा / बी०टैक है। प्राधिकरण कार्यों के संचालन हेतु तकनीकी सुपरवाईजरों का उपयोग प्राधिकरण के निर्माण एवं विकास कार्यों, अनाधिकृत निर्माणों की रोकथाम तथा निर्माण एवं विकास कार्यों के आगणन तैयार करने आदि कार्यों में किया जा रहा है। उपनल के नियमों के अनुसार सुपरवाईजरों को कुशल श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान स्वीकृत आउटसोर्सिंग एजेन्सी का अनुबन्ध माह जून 2024 तक है। आगामी आउटसोर्सिंग एजेन्सी नियत करने से पूर्व तकनीकी सुपरवाईजरों को उच्च कुशल श्रेणी में उच्चीकृत किये जाने की स्वीकृति के साथ-साथ विभागीय कार्यों के क्षेत्रप्रमण हेतु ₹0. 1,200-00 प्रतिमाह वाहन भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


 अधिकारी स्तरी अभियन्ता
 हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण
 अवैधिक

पत्रावली संख्या:-प्रशान्त 2(क) 22 / / 2023-24

मद संख्या 78 (06)

हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण में कार्यरत संविदा कार्मिकों के वेतन आदि के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2022 में संविदा कार्मिकों के वेतन में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत की दर से वृद्धि स्वीकृत की गयी थी। जिसका अनुपालन कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में मंहगाई इत्यादि में हुई वृद्धि के दृष्टिगत नियमित अधिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों को 41 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। मंहगाई के दृष्टिगत संविदा के रूप में कार्यरत कार्मिकों को देय वेतन में एक मुश्त 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए पूर्व स्वीकृत 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को निरन्तर जारी रखना उचित होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अधिकारी अधिकारी
हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण
लिपि

पत्रावली संख्या:-प्रशात 2(क) 22 / / 2023-24

मद संख्या 78 (07)

हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण से सेवा निवृत्त हो रहे तकनीकी अधिकारी/ कर्मचारियों की पुर्णनियुक्ति के सम्बन्ध में।

हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण में स्वीकृत तकनीकी अधिकारी/ कर्मचारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों की संख्या अत्यन्त निम्न हैं। हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण में अधिशासी अभियन्ता का एक पद तथा सर्वेयर के 02 पद सर्जित हैं जिसपर कार्मिक तैनात हैं। अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनात श्री माधवानन्द जोशी तथा सर्वेयर के रूप में तैनात श्री शिशुपाल सिंह राणा अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण करते हुए माह सितम्बर 2023 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्राधिकरण में तकनीकी कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत इन कार्मिकों को पुनर्नियोजित किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अधिशासी अभियन्ता का पद केन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत आता है। जिनकी नियुक्ति प्राधिकारी सचिव, आवास उत्तराखण्ड शासन हैं। सर्वेयर का पद अकेन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत आता है तथा इनके नियुक्ति प्राधिकारी उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार हैं। अधिशासी अभियन्ता का पद केन्द्रीयत सेवा का होने के कारण इनकी पुर्णनियुक्ति हेतु प्रस्ताव बोर्ड की संस्तुति उपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने तथा सर्वेयर का पद अकेन्द्रीयत सेवा का होने के कारण उनकी पुर्णनियुक्ति किये जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


अधिशासी अभियन्ता
हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मद संख्या 78 (09)

जनपद हरिद्वार में एकता मॉल (Unity Mall) के निर्माण हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में।

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विभिन्न बैठकों में हरिद्वार जनपद में उपर्युक्त स्थान का चयन कर एकता मॉल (Unity Mall) निर्मित किये जाने के निर्देश हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण को दिये गये हैं। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.09.2023 को सम्पन्न हुई बैठक में यूनिटी मॉल के निर्माण हेतु ग्राम ज्वालापुर, बाहर हदूद परगना ज्वालापुर तहसील व जनपद हरिद्वार के राष्ट्रीय राजमार्ग 334 से लगी हुई भूमि (हरिद्वार से दिल्ली जाते हुए बाँझ और) खसरा संख्या 569 क्षेत्रफल 0.9420 है 0 व खसरा संख्या 577 मिं 0 क्षेत्रफल 0.491 है 0 सहित कुल क्षेत्रफल 1.4330 है 0 में से 0.9530 है 0 / 9530 वर्गमी 0 भूमि जो म्यूनिसिपल बोर्ड हरिद्वार (नगर निगम हरिद्वार) के स्वामित्व की भूमि है, को यूनिटी मॉल के निर्माण हेतु चयनित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार एकता मॉल (Unity Mall) निर्मित किये जाने के लिए चयनित भूमि को नगर निगम हरिद्वार से हस्तांतरण/कब्जा प्राप्त करने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


आधिकारी अधिकारी
हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण
महोदय

मद संख्या 78 (10)

आवेदक श्री ब्रजपाल सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह व श्री सन्नी सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह एवं श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री महिपाल सिंह आदि द्वारा ग्राम गाडोवाली परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार, खसरा नं० 50 रकबा 9900 वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।


अवगत कराना है कि आवेदकगण श्री ब्रजपाल सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री सन्नी सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह व श्री अनुराग सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह एवं श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री महिपाल सिंह निवासी मौ० चौहानान ज्वालापुर हरिद्वार ग्राम गाडोवाली परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार, खसरा नं० 50 रकबा 9900 वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 17.08.2023 प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल खसरा नं० 50 मौ० 9900.00 वर्ग मीटर कृषि से आवासीय मैं भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन की प्रारम्भिक जांच प्राधिकरण तहसीलदार द्वारा की गयी।

प्राधिकरण तहसीलदार की आख्या दिनांक 17.08.2023 के अनुसार, "श्री ब्रजपाल सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह व श्री सन्नी सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह व श्री अनुराग सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह एवं श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री महिपाल सिंह निवासी मौ० चौहानान ज्वालापुर हरिद्वार ग्राम गाडोवाली परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार, खसरा नं० 50 रकबा 9900 वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 17.08.2023 प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर संलग्न विकाय पर एवं खाता विवरण के आधार पर आवेदकगणों का नाम बताइर संकमणीय भूमि घर राजस्व अभिलेखों में अकित है। प्रस्तावित भूखण्ड आवेदकगणों के भू स्वामित्व की भूमि है।"

मानविकार की आख्या दिनांक 17.08.2023 के अनुसार "आवेदकगणों द्वारा दिये गये की-प्लान साईट प्लान पर स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है।" शासनादेश संख्या 1651/वी०-२/२१/११ (एल०य०सी०) 2003 दिनांक 06/10/2021 के अन्तर्गत कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है। उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-२ देहरादून के भूखण्ड क्षेत्रफल का भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार जिला स्टारीय विकास प्राधिकरण में निहित होगा।

प्रस्तुत आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल के गुणल कोडिनेट्स 29.892974, 78122559 हैं, स्थल मुख्य मार्ग पी०डब्लू०डी० रोड ज्वालापुर से जियापोता मार्ग पर स्थित है एवं पहुंच मार्ग ०९ मी० विद्यमान है। स्थल के चारों ओर का क्षेत्र अनियोजित रूप से विकसित हो रहा अनियमित कालोनी की तरह विकसित होने की सम्भावना है।

अतः प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन की दृष्टि से उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग महायोजना में आरक्षित कृषि से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समर्थ विचारार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


 जांचशासी अधिकारी
 परिवर्तन-समिक्षक सिविल प्राधिकरण
 जिला स्टारीय विकास प्राधिकरण

मद संख्या 78 (11)

आवेदक श्री घसीटू सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह द्वारा अत्मलपुर बौंगला हरिद्वार स्थित खसरा नं० 470 रकबा 9973 वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।


अवगत कराना है कि आवेदक श्री घसीटू सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह द्वारा अत्मलपुर बौंगला हरिद्वार स्थित खसरा संख्या 470 रकबा 9973 वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 19.08.2023 प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल खसरा नं० 470 मि० 9973.00 वर्ग मीटर कृषि से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन की प्रारम्भिक जांच प्राधिकरण तहसीलदार द्वारा की गयी।

प्राधिकरण तहसीलदार की आख्या दिनांक 21.08.2023 के अनुसार, "श्री घसीटू पुत्र श्री सरदार सिंह के नाम भूमि खसरा नम्बर 470 मि० क्षेत्रफल प्रस्तावित 9973 (नी हजार नौ सौ तिहत्तर) वर्ग मीटर स्थित ग्राम अत्मलपुर बौंगला परगना ज्वालापुर तहसील हरिद्वार के नाम संकमणीय भूमिकर के रूप में अंकित है। प्रस्तावित भूखण्ड का उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तन हेतु आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।"

मानचित्रकार की आख्या दिनांक 21.08.2023 के अनुसार "आवेदक द्वारा दिये गये की-प्लान साईट प्लान पर स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है।" शासनादेश संख्या 1651/वी०-२/२१/११ (एल०य००सी०) 2003 दिनांक 06/10/2021 के अन्तर्गत कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है। उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 देहरादून के शासनादेश संख्या-1311/वी०-२/२१-१०(आ०)/२०२० दिनांक 26.07.2021 के विन्दु संख्या-1.1 के अनुसार, 4000 से 10000 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल का भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में निहित होगा।

प्रस्तुत आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल के गुगल कोर्डिनेट्स 29.910616, 78.036103 हैं, स्थल मुख्य मार्ग पी०डब्लू०डी रोड अलीपुर से बहादराबाद मार्ग पर स्थित है एवं पहुंच मार्ग 09 मी० विद्यमान है। स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग 334 के समीपस्थ है स्थल के समीप अपरिहार्य है। अन्यथा यह स्थल भी अन्य अनियमित कालोनी की तरह विकसित होने की सम्भावना है।

अतः प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन की दृष्टि से उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग महायोजना में आरक्षित कृषि से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


 अधिकारी उचियन्त्र
 लैरियार-समृद्धि विकास प्राधिकरण
 लैरियार

मद संख्या-78 (11) आवेदक श्री घर्सीटू रिंह पुत्र श्री सरदार रिंह द्वारा अत्मलपुर बॉगला हरिद्वार स्थित खसरा नं०-४७० रक्का १९७३ वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।


मद संख्या-78 (12) आवेदक स्वामी आत्मानन्दपुरी शिष्य स्वामी गणेशपुरी एवं श्रीमती प्रतिमा चौहान पत्नी श्री एम०एस०चौहान द्वारा सज्जनपुर पीली, परगना तहसील व ज़िला हरिद्वार स्थित खसरा नं०-१११ मि०, १२१ मि० रक्का १९४७ वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-78 (13) प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-२(बी) के तलपट मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-78 (14) शासनादेश सं०-२१०४ /वी-२-२०१७-५३(आ०) /२०१४ दिनांक १५-१२-२०१७ के द्वारा प्राधिकरण के सृजित पदों में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त नियोजन के पदों को छोड़कर अन्य पदों में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये।

मद संख्या-78 (15) प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों पर निर्धारित समयावधि के अन्दर निर्माण करने के प्रतिबन्ध के निरस्तीकरण तथा सरचार्ज की वसूली के शिथिलीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/ Commissioner

मद संख्या 78 (12)

आवेदक स्वामी आत्मानन्दपुरी शिष्य स्वामी गणेशपुरी एवं श्रीमती प्रतिमा चौहान पत्नी श्री एम०एस० चौहान द्वारा सज्जनपुर पीली, परगना तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा नं० 111 मि०, 121मि० रकबा 9947 वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।


अवगत कराना है कि आवेदक स्वामी आत्मानन्दपुरी शिष्य स्वामी गणेशपुरी एवं श्रीमती प्रतिमा चौहान पत्नी श्री एम०एस० चौहान द्वारा सज्जनपुर पीली, परगना तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा नं० 111 मि०, 121मि० ग्राम, रकबा 9947 वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 18.08.2023 प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल खसरा नं० 111 मि०, 121मि० ग्राम, रकबा 9947 वर्ग मीटर कृषि से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन की प्राधिकरण तहसीलदार द्वारा की गयी।

प्राधिकरण तहसीलदार की आख्या दिनांक 22.08.2023 के अनुसार, "स्वामी आत्मानन्दपुरी शिष्य स्वामी गणेशपुरी एवं श्रीमती प्रतिमा चौहान पत्नी श्री एम०एस० चौहान द्वारा विक्य पत्र संख्या 3956 / 21 खसरा संख्या 121मि० क्षेत्रफल 0.6253 है। एवं विक्य पत्र संख्या 2653 / 21 खसरा संख्या 111 व 121 क्षेत्रफल 0.3694 है। स्थित ग्राम सज्जनपुर पीली परगना नजीबाबाद तहसील हरिद्वार द्वारा क्य की गयी है। क्य की गयी भूमि पर केतागणों के भूस्वामित्त क्षेत्रफल 9947 वर्गमी० की पुष्टि होती है। भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या सादर प्रेषित है।"

मानचित्रकार की आख्या दिनांक 21.08.2023 के अनुसार "स्थल का भू-उपयोग दिये गये दिये गये की-प्लान व महायोजना 2025 की प्रति व अन्य दस्तावेजों के अनुसार कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है।" शासनादेश संख्या 1651/वी०-2/21/11 (एल०य००सी०) 2003 दिनांक 06/10/2021 के अन्तर्गत कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है। उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 देहरादून के शासनादेश संख्या-1311/वी०-2/21-10(आ०)/2020 दिनांक 26.07.2021 के विन्दु संख्या-1.1 के अनुसार, 4000 से 10000 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल का भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में निहित होगा।

प्रस्तुत आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल के गुगल कोर्डिनेट्स 29.847958, 78.177463 हैं, पहुंच मार्ग 09 मी० से अधिक चौड़ाई का विद्यमान है। स्थल के सभीप अनियोजित् विकास/कालोनीया अवस्थित हैं। जनसुविधाओं एवं नियोजित विकास के दृष्टि से उक्त स्थल का भू उपयोग परिवर्तित किया जाना अपरिहार्य है। अन्यथा यह स्थल भी अन्य अनियमित कालोनी की तरह विकसित होने की सम्भावना है।

अतः प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन की दृष्टि से उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग महायोजना में आरक्षित कृषि से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


 अधिकारी अधिकारी
 हरिद्वार-स्कॉल विकास प्राधिकरण
 हरिद्वार

मद संख्या 78 (14)

शासनादेश संख्या—2104/वी—2—2017—53(आ०)/2014 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा प्राधिकरण के सृजित पदों में वृद्धि के संबंध में


अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या—1277 दिनांक 13.09.2019 के द्वारा हरिद्वार—रुड़की विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार है। हरिद्वार जनपद का कुल क्षेत्रफल 2360.00 वर्ग किमी है। प्राधिकरण कार्यों में मुख्यतः अनाधिकृत निर्माणों की रोकथाम, मानवित्र स्वीकृति, सम्पत्तियों का पंजीकरण एवं आवटन, नजूल प्रबन्धन, अवस्थापना संबंधी विभिन्न निर्माण कार्य, योजनाओं का निर्माण एवं विकास कार्य, आर०टी०आई०, सेवा का अधिकार, सी०ए०प० फोर्टल तथा जन—सामान्य से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के निस्तारण आदि कार्यों का सम्पादन प्राधिकरण स्तर से किया जाता है। प्राधिकरण के कार्यों में कार्यालय कार्य के अतिरिक्त फिल्ड का कार्य अधिक रहता है, जिसके सम्पादन फिल्ड अधिकारी/कर्मचारी के पद में अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता आदि द्वारा सम्पादित किया जाता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में नियोजन संबंधी कार्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसके अन्तर्गत महायोजना का अनुपालन, नई योजनाये तैयार करना आदि कार्य सम्पादित किया जाता है, किन्तु नियोजन से संबंधी कार्यों के सम्पादन हेतु कोई अधिकारी/कर्मचारी तैनात नहीं है। उपरोक्त के परिपेक्ष में तकनीकी कार्मिकों की स्वीकृति / उपलब्धता तथा अतिरिक्त आवश्यकता के संबंध में विवरण निम्नवत हैं—

क्र० सं०	पदनाम	सृजित पद	कार्यरत पद	अतिरिक्त पद की मांग	स्वीकृत एवं अतिरिक्त मांग सहित पदों की कुल संख्या	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	नगर नियोजक	01	—	—	01	नियोजन की दृष्टि से तैनाती अनिवार्य है।
02	सहायक नगर नियोजक	01	—	01	02	सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार के नियोजन के दृष्टिगत 02 सहायक नगर नियोजक की तैनाती आवश्यक है।
03	अधिशासी अभियन्ता	01	01	01	02	अवस्थापना विकास तथा योजनाओं के निर्माण एवं विकास कार्यों के दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद हेतु एक पद मुख्यालय हरिद्वार तथा एक पद रुड़की हेतु सृजित किया जाना अनिवार्य है।
04	सहायक अभियन्ता	04	03	02	06	सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार एवं अनाधिकृत निर्माणों की रोकथाम मानवित्र स्वीकृति एवं योजना एवं अवस्थापना संबंधी कार्यों के सम्पादन हेतु 06 सहायक अभियन्ता का पद सृजित किया जाना आवश्यक है।
05	अवर अभियन्ता	11	03	05	16	जनपद हरिद्वार चार तहसीलों में विभक्त है, जिसके अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माणों की रोकथाम, मानवित्र स्वीकृति अवस्थापना विकास तथा निर्माण आवासीय / व्यवसायिक परियोजनाओं का निर्माण एवं निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकरण में कम से कम 16 अवर अभियन्ता के पद स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

05	तहसीलदार /	-	-	01	01	प्राधिकरण का विकास क्षेत्र जनपद हरिद्वार के 04 तहसीलों में सृजित है। राजस्व संबंधी कार्यों के सम्पादन हेतु 01 नायब तहसीलदार का पद सृजित है। प्राधिकरण द्वारा नज़ूल कार्यों का सम्पादन भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नियमित कार्यों का सम्पादन भी किया जाता है। शासन द्वारा निरन्तर प्राधिकरण का लैण्ड बैंक स्थापित किये जाने के निर्वेश दिये जा रहे हैं। किन्तु राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के दृष्टिगत प्राधिकरण को अपना लैण्ड बैंक बनाने में अत्यन्त कठिनाई हो रही है। अतः नियमित कार्यों के सम्पादन के साथ-2 लैण्ड बैंक स्थापित किये जाने हेतु एक तहसीलदार एवं तीन अतिरिक्त नायब तहसीलदार के पद को सृजन किया जाना आवश्यक है।
06	नायब तहसीलदार	01	01	01	02	
07	संयुक्त सचिव	02	02	01	03	तहसील रुड़की एवं लक्ष्मणगढ़ में उप जिलाधिकारी द्वारा पदेन संयुक्त सचिव का कार्य किया जा रहा है। मुख्यालय हरिद्वार में संयुक्त सचिव का कोई पद सृजित नहीं है, कार्य की अधिकता एवं समन्वय के दृष्टिगत मुख्यालय हेतु संयुक्त सचिव का पद सृजित किया जाना आवश्यक है।
08	उप सचिव	01	-	02	03	अवगत करना है कि उप सचिव के पद पर वर्तमान में कोई अधिकारी कार्यरत नहीं है, प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू संचालन हेतु मुख्यालय पर 01 तथा शाखा कार्यालय पर 01-01 अधिकारी की तैनाती आवश्यक है। इस प्रकार 02 अतिरिक्त पद सृजित किया जाना आवश्यक है।
09	कनिष्ठ सहायक	05	04	05	10	प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक के सृजित 05 पदों के सापेक्ष पटलों की संख्या अधिक है तथा मुख्यालय के अतिरिक्त 02 शाखा कार्यालय भी है। कार्यों के सुचारू संचालन हेतु कनिष्ठ सहायक के 05 अतिरिक्त पद सृजित किये जाने आवश्यक हैं।
10	प्रोग्रामर	-	-	01	01	वर्तमान में समस्त कार्य ऑफिस इन प्रक्रिया के माध्यम से सम्पादित किये जा रहे हैं। जिसके कारण एक प्रोग्रामर का पद सृजित किया जाना उचित होगा।
	कुल योग	27	14	20	47	

अतः उपरोक्तानुसार शासन द्वारा सृजित पदों में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के क्षेत्रफल के दृष्टिगत तथा कार्यों की अधिकता के कारण पूर्ण सृजित पदों सहित अतिरिक्त कॉलम-05 में अंकित पदों के सृजन की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


 अधिकारी अधिकारी
 हरिद्वार-कनिष्ठी विकास प्राधिकरण
 हरिद्वार

05 तहसीलदार /

-

-

01

01

प्राधिकरण का विकास क्षेत्र जनपद हाइदराबाद के 04 प्रशासनिक विभागों में

पत्रावली संख्या:- सम्पत्ति 2(क)-78/2021-22

मद संख्या 78(15)

प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों पर निर्धारित समयावधि के अन्दर निर्माण करने के प्रतिबन्ध के निरस्तीकरण तथा सरचार्ज की वसूली के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की विकसित योजनाओं में शिवलोक आवासीय योजना भाग-1 को छोड़कर समस्त योजना फि-होल्ड के रूप में है। शिवलोक भाग-1 को छोड़कर अन्य योजनाओं में विक्रय विलेख निष्पादित करते समय आवंटित भूखण्ड पर निर्माण करने की सरचार्ज/निरस्तीकरण की शर्त का अंकन किया गया था। योजनायें फि-होल्ड होने के कारण आवंटियों द्वारा आपत्ति करने पर प्रकरण को प्राधिकरण की 72(16) बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि "प्राधिकरण द्वारा पूर्व में विकसित शिवलोक आवासीय योजना भाग-1, 2 एवं 3, गायत्रीलोक आवासीय योजना, श्यामलोक आवासीय योजना, हरिलोक आवासीय योजना एवं इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं ड्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिनके विक्रय विलेख में अर्थदण्ड का प्राविधान है, को सम्पूर्ण तथ्यों सहित शिथिलता हेतु शासन को सन्वर्भित किया तथा ऐसे विक्रय विलेख वाले प्रकरण जिनमें निरस्तीकरण का प्राविधान किया गया है, में निर्माण कार्य हेतु 02 वर्ष की समय-सीमा अन्तिम रूप प्रदान करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये। भविष्य में जो भी रजिस्ट्री/लीजडीड निष्पादित की जायेगी उनमें अनिर्माण हेतु शर्त विलोपित करने हेतु निर्णय लिया गया।" उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा अनिर्माण सरचार्ज आरोपित योजनाएं निम्नवत हैं:-

क्रम संख्या	योजना का नाम	निर्माण की अवधि	अनिर्माण की दशा में प्रतिवर्ष देय सरचार्ज दर	टिप्पणी
01	शिवलोक आवासीय योजना भाग-03	05 वर्ष	02 प्रतिशत	विक्रय विलेख निष्पादन की तिथि से 05 वर्ष उपरान्त सरचार्ज की देयता बनती है।
02	हरिलोक आवासीय योजना	05 वर्ष	02 प्रतिशत	
03	श्यामलोक आवासीय योजना	05 वर्ष	02 प्रतिशत	
04	ड्रांसपोर्ट नगर योजना	01 वर्ष	15 प्रतिशत	विक्रय विलेख निष्पादन की तिथि से 01 वर्ष उपरान्त सरचार्ज की देयता बनती है।

उपरोक्त चारों योजनाएं फिहोल्ड आवंटित हैं। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रकरण शासन को सदर्भित किया गया। जिसके क्रम में शासन द्वारा पत्र संख्या 1/147329/2023/आवास अनुभाग-2/दिनांक 18.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि "प्रकरण पर कार्यवाही प्राधिकरण के स्तर से ही की जानी है। अनुबन्ध के संबंध में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसे प्रकरणों में अनुबंधों के आधार पर पूर्व निर्णय लिया गया है तो तदनुसार प्रश्नगत प्रकरण में भी अपने स्तर से कार्यवाही करें।" प्राधिकरण की योजनाओं में शीघ्रता-शीघ्र बसावत के दृष्टिगत अनिर्माण शुल्क के रूप में सरचार्ज लगाने की परम्परा पूर्व से ही रही है। प्राधिकरण की 72 बोर्ड बैठक दिनांक 07.09.2021 तक उक्त योजनाओं के सम्पत्तियां फिहोल्ड होने के कारण भविष्य में निष्पादित होने वाले विक्रय विलेखों में किसी भी प्रकार के अनिर्माण सम्बन्धी शर्तों को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार दिनांक 07.09.2021 से पूर्व निष्पादित विक्रय विलेखों में ही अनिर्माण सम्बन्धी शर्तों का उल्लेख योजनाओं में पूर्व की भाँति ही अनिर्माण पर 02 प्रतिशत सरचार्ज लिए जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


अधिकारी अधिकारी

मद संख्या 78(16)

किराये पर उठी अमित्तव्ययी सम्पत्ति को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

शिवलोक आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत लगभग 525 वर्ग फुट भूमि श्री किशन स्वरूप, चौकीदार को 200.00 प्रतिमाह पर किराये पर दिनांक 28.05.2010 को आवंटित की गयी थी। आवंटी द्वारा भूमि को स्थाई रूप से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या 2798/9-आ-5-93-3मिस/86 दिनांक 16.06.1993 आवास अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विकास प्राधिकरण की किराये पर उठी अमित्तव्ययी सम्पत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में शर्तों के अधीन मूल्य निर्धारित (अप्रीशिएटेड) वैल्यू आफ लैण्ड एण्ड डिप्रिशियेटेड वैल्यू आफ हाउस) भूमि का वर्तमान मूल्य भवन की वर्तमान लागत-भवन पुराना होने के कारण डेप्रिशियेटेड (वर्तमान मूल्य के आधार पर निर्धारित होगा अर्थात् भूमि का वर्तमान मूल्य और भवन की वर्तमान लागत में से भवन पुराना होने के कारण हास कम करके अमित्तव्ययी सम्पत्तियों का विक्रय मूल्य निर्धारित होगा। हास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिपादित मॉपदण्डों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा एवं मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग से मूल्यांकन अवश्य करायेंगे ताकि एक ही स्थान पर पालिका एवं प्राधिकरण की सम्पत्तियों के निस्तारण बहुत अलग-अलग मूल्य न आये। इस मूल्य निर्धारित पर मण्डलायुक्त का भी अनुमोदन आवश्यक होगा। ऐसी अमित्तव्ययी सम्पत्तियों का चिन्हांकन उनके सम्बन्ध में पूरा विवरण तैयार किया जाएगा और शासन को भी इस प्रकार तैयार किये गये विवरण से अवगत कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में इस प्रकार निस्तारण हेतु विन्हाँकित सम्पत्तियों का पूरा विवरण एवं प्रस्ताव उक्त सिद्धान्तों के आधार पर तैयार कराकर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अन्तिम रूप दिया जाएगा। उक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा 01 ही सम्पत्ति-भूमि किराये पर आवंटित है, जिसे भूमि की वर्तमान लागत पर विक्रय किया जाना है। अतः शासनादेश के कम में किराये पर आवंटित भूमि किरायेदार को इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है कि आवंटित सम्पत्ति को आगामी 02 वर्षों तक किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं किया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


अधिकारी अधिकारी
लैंग्मार-लड्डूकी विकास प्राधिकरण
लैंग्मार


मद संख्या-78 (16) कियाये पर उठी अमितव्याची सम्पत्ति को आवंटित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या-78 (17) मे० जगत एन्टरप्राईजेज ज्यालापुर द्वारा पार्टनर सरदार इन्डजीत सिंह पुत्र सरदार जगतसिंह निवासी आर्यनगर ज्यालापुर, परगना ज्यालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा खसरा नं०-८७३, ८७२ मि०, ८५९ मि०, गाम-अहमदपुर कडक्छ, परगना ज्यालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार में व्यवसायिक निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त सी०टी०सी०पी० की अध्यक्षता में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, डी०जी०सी०(सिविल) एवं प्राधिकरण अधिवक्ता की समिति गठित करते हुए समिति की रिपोर्ट सभी विधिक पहलुओं पर विस्तृत प्रस्ताव के साथ उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाए ।

मद संख्या-78 (18) प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-२ के आवंटियों से दये धनराशि को जमा करने में विलम्ब शुल्क /ब्याज की धनराशि को माफ कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

अन्त में सचिव, हरिद्वार-लड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मा० अध्यक्ष, एच०आर०डी०एव/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं उपाध्यक्ष /जिलाधिकारी व अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी ।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

मद संख्या 78 (17)

मैसर्स जगत एन्टरप्राइजेज ज्वालापुर, द्वारा पार्टनर :—सरदार इन्द्रजीत सिंह पुत्र सरदार जगत सिंह निवासी:—आर्यनगर ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा खसरा नं० 873, 872मि०, 859मि०, ग्राम—अहमदपुर कड़च्छ, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार में व्यवसायिक निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में।

कृपया आवेदक मैसर्स जगत एन्टरप्राइजेज ज्वालापुर, द्वारा पार्टनर सरदार इन्द्रजीत सिंह पुत्र सरदार जगत सिंह निवासी आर्यनगर ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार के द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या HRDA/NC/0209/22-23 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल खसरा नं० 873, 872मि०, 859मि०, स्थित ग्राम—अहमदपुर कड़च्छ, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल का कुल भूखण्ड क्षेत्रफल विक्रय पत्रों के अनुसार 2652.42 वर्ग मीटर एवं स्थलानुसार कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 2536.47 वर्गमीटर है। जिसपर केवल व्यवसायिक निर्माण का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल का भू—उपयोग हरिद्वार महायोजना—2025 में व्यवसायिक C के अन्तर्गत आता है। प्रस्तुत प्रस्ताव कुल भूखण्ड क्षेत्रफल विक्रय पत्रों के अनुसार 2652.42 वर्गमीटर एवं स्थलानुसार कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 2536.47 वर्गमीटर पर है। स्थल पर पुराने अशोका टाकिज की बिल्डीगं जजर हालत में स्थित है, जिसको मानचित्र में तोड़ा जाना दर्शाया गया है। तोड़े जाने हेतु तत्कालीन सचिव उत्तराखण्ड शासन ने पत्रांक संख्या 250/XXVII(9)/2011/मनो०कर०-29/2010 दिनांक 26.09.2011 को अनुमति प्रदान की हुई है, अनुमति में यह कही भी वर्णित नहीं है कि पुराने सिनेमा घर को तोड़कर मिनी सिनेमाहॉल बनाना होगा। प्रार्थी के द्वारा शासनादेश संख्या 91/XXVII(5)/मनो०कर/2005 दिनांक 06 मई 2005 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार प्रार्थी व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स / मल्टीप्लैक्स दोनों में से कोई भी बनाने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र है। परन्तु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि उत्तराखण्ड के पृष्ठ संख्या 79 के कम संख्या 7.10 में प्रदेश में पुराने सिनेमाघरों को तोड़कर मिनी सिनेमाहॉल सहित व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त शासनादेश संख्या 250/XXVII(9)/2011/मनो०कर०-29/2010 दिनांक 26.09.2011 के कम में आवेदक द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लिखित है कि “टाकिज से सम्बन्धित कोई भी मनोरंजन कर बकाया न होने तथा शासन की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निर्मित नहीं था एवं प्रोत्साहन योजना के बिना संचालित हो रहा था” प्रस्तुत किया गया है।

तत्पश्चात प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.05.2023 को Online मानचित्र पत्रावली में सी०टी०सी०पी० की निम्न बिन्दुओं पर राय चाही गयी। वर्तमान प्रस्ताव में सी०टी०सी०पी० को तकनीकी राय हेतु दिनांक 26.07.2023 को प्रेषित किया गया है।

01. शासनादेश संख्या 91/XXVII(5)/मनो०कर/2005 दिनांक 06 मई 2005 उक्त में यदि कोई सिनेमा स्वामी / लाईसेन्सी छविग्रह को तोड़कर उसके स्थान पर व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स / मल्टीप्लैक्स या अन्य निर्माण करना चाहता है तो महायोजना व अन्य उपविधियों/विनियमों/नियमों के आधार पर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण व विनियमित क्षेत्र के द्वारा परीक्षणोंपरान्त नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु स्वतन्त्र होगा। और इस सम्बन्ध में शासन के आवास विभाग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।


महायोजना व उपविधियों/विनियमों/नियमों के आधार पर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण व विनियमित क्षेत्र के द्वारा परीक्षणोंपरान्त नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु स्वतन्त्र होगा। और इस सम्बन्ध में शासन के आवास विभाग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

25 लैट्रिक्स-संस्कृत विभाग अधिकारी

02. वर्तमान लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के पैरा no 7.1 में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में पुराने सिनेमाघरों को तोड़कर मिनी सिनेमा हॉल सहित व्यवसायिक काम्पलेक्स के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है—
- (i) प्रयोज्यता : यह प्रावधान केवल पुराने सिनेमाघरों के भूखण्ड की सीमा अन्तर्गत प्रभावी होंगे। अर्थात् किसी भी नव प्रस्ताव या नये क्षेत्र में यह प्रावधान अनुमन्य नहीं होंगे। विद्यमान छविगृह को तोड़कर उपलब्ध भूखण्डों पर केवल मिनी छविगृह एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति होगी। इस भूखण्ड पर होटल / लॉजेज का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- उपरोक्त बिन्दु-01 में छविग्रहों के स्थान पर व्यावसायिक कॉम्प्लैक्स / मल्टिप्लैक्स या अन्य निर्माण को स्पष्ट किया गया है।
- उपरोक्त बिन्दु संख्या 02 में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के उक्त पैरा में मिनी छविगृह एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति को स्पष्ट किया गया है।

कृपया आवेदक द्वारा वर्तमान में व्यावसायिक भवन के निर्माण किये जाने हेतु भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। शासनादेश संख्या 91/XXVII(5)/मनोकर/2005 दिनांक 06 मई 2005 के अनुसार अनुमति देय है तथा लागू भवन निर्माण एवं विकास मानचित्र में छविग्रह की प्रस्तावना नहीं है। उक्त दोनों बिन्दुओं के कम में आवेदक द्वारा मात्र व्यवसायिक भवन के निर्माण किये जाने हेतु भवन मानचित्र स्वीकृति पर उचित मार्ग दर्शन प्रदान करना चाहें।

सी0टी0सी0पी0 द्वारा दिनांक 22.08.2023 को अपनी ऑनलाइन आख्या प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें उल्लिखित है कि “ सचिव वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 250/XXVII(9)/2011 /मनोकर-29/2010 दिनांक 26 सितम्बर 2011 जो जिलाधिकारी हरिद्वार /2009 /मनोकर-60/2008 दिनांक 31 मार्च 2010 के अनुसार पुराने सिनेमाघरों को तोड़कर अथवा वर्तमान में संचालित सिनेमा भवनों अशोका टाकिज ज्वालापुर को तोड़कर उसके उपरान्त व्यवसायिक गतिविधियां जैसे होटल इत्यादि निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में है। अतः शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या CS-72/V-आ०.2005.117(आ०)/2005 दिनांक 21 जुलाई 2005 के प्राविधानों के अनुसार उक्त प्रकरण कड़च्छ परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार अन्तर्गत व्यवसायिक निर्माण विचारणीय है।”


अधिकारी उपचिवर
हरिद्वार-सूखी विभास प्रशिकरण

मानचित्र का तकनीकी विवरण निम्न प्रकार है— (मात्र व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत करने पर)

क्र०	विवरण	भवनउपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	2000 वर्गमीटर	2494.65 वर्गमीटर
02	पहुंचमार्ग	15 मीटर	27.46 मीटरमौकेपर प्रस्तावित 30 मीटर (मास्टर प्लान रोड)
03	सेटबैक		
	फन्टसेटबैक	10 मीटर	10 मीटर
	रियरसेटबैक	05 मीटर	05 मीटर
	साईंडसेट बैक-1	4.5 मीटर	4.5 मीटर
	साईंडसेट बैक-2	4.5 मीटर	4.5 मीटर
04	भू-आच्छादन	45%	45%
05	F.A.R	2.0	2.0
06	भवन की ऊँचाई	30 मीटर	12 मीटर
07	तलो की संख्या	10	03
08	पार्किंग	77 ECS	77 ECS
09	अन्य विवरण	-	-

प्रस्तुत आवेदन के क्रम में अवगत कराना है कि ऑनलाइन प्रस्तावित मानचित्र संख्या HRDA/NC/0209/2022-23 में शासनादेश संख्या 91/XXVII(5)/मनो.कर/2005 दिनांक 06 मई 2005 के अनुपालन में कार्यालय द्वारा पत्रावली पूर्णतः व्यावसायिक में स्वीकृति हेतु अग्रसारित की गयी थी। परन्तु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि उत्तराखण्ड के पृष्ठ संख्या 79 के क्रम संख्या 7.10 में प्रदेश में पुराने सिनेमाघरों को तोड़कर मिनी सिनेमाहॉल सहित व्यवसायिक काम्पलेक्स के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है।

अतः सी०टी०सी०पी० की उपरोक्त आख्या के क्रम में सम्बन्धित शासनादेशों के आलोक में प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निस्तारित किया जाना उचित होगा। मानचित्र तकनीकी दृष्टिकोण एवं महायोजना-2025 के अनुसार स्वीकृति योग्य है।

अतः उपरोक्तानुसार पुराने सिनेमाघर को तोड़कर केवल व्यावसायिक निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अधिकारी अधिदर्शक
लिंगर-स्कूली विकास प्रक्रियालय
लखनऊ

मद संख्या 79(18)

प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी)के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग—2 के आवंटियों से देय धनराशि को जमा करने में विलम्ब के लिए देय विलम्ब शुल्क की धनराशि को माफ कराये जानेके सम्बन्ध में।

प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग—2 निकट नवोदय नगर, रोशनाबाद में निर्मित 528 आवासों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदकों के मध्य दिनांक 24-04-2023 को लॉटरी प्रक्रिया सम्पादित की गई। आवेदन पत्र पुस्तिका (ब्रोसर) के प्रथम पृष्ठ के अनुसार सफल आवेदकों को आवंटित भवन के सापेक्ष धनराशि (बिन्दु संख्या-04) जमा कराये जाने हेतु एवं देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं करने (बिन्दु संख्या-07) हेतु आवंटन पत्र प्रेषित किये गये हैं। जिनमें आवेदकों को निम्न व्यवस्था से भी अवगत कराया गया है :-

भुगतान करने की प्रक्रिया:- आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर आवंटी को भवन मूल्य का 25 प्रतिशत अर्थात रूपये 1,12,500.00 (एक लाख बारह पाँच सौ रुपये) जमा कराना होगा। आवंटी को आवंटन पत्र निर्मात होने के 03 माह के अन्दर भवन के सापेक्ष बकाया राशि में से ₹0. 2,00,000-00 (रु0. दो लाख) एवं भवन मूल्य की अवशेष धनराशि ₹0 1,32,500.00 (बकाया भवन मूल्य)+₹31,430.00 (अनुरक्षण शुल्क)+लीजरेण्ट 12,584.00+सर्विस चार्ज आदि का भुगतान कब्जा प्राप्त करने से पूर्व प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।

समय पर भुगतान न करने पर अर्धदण्डः- यदि हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से विलम्ब अवधि का विलम्ब शुल्क सहित देय राशि का भुगतान करना होगा। तीन माह विलम्ब अवधि में विलम्ब शुल्क सहित भुगतान न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, ₹0.00प्रा0 में निहित होगा।

उक्तानुसार कतिपय आवंटियों द्वारा निर्धारित अवधि के बाद/विलम्ब से किश्त की धनराशि जमा करायी जा रही है। उक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुसार विलम्ब अवधि के लिए विलम्ब शुल्क की गणना कर आवेदकों को अवगत कराया जा रहा है। ऐसे आवेदकों के द्वारा विलम्ब से धन जमा करने का कारण आर्थिक समस्या/बैंक से ऋण स्वीकृत होने में हुई देरी का हवाला देते हुए,

उक्त योजना प्रधानमन्त्री आवास योजना के पात्र परिवारों के लिए है और योजना के आवंटी निर्बल वर्ग के हैं तथा शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। अधिकांश आवंटियों के द्वारा बैंकों से ऋण लेकर देय धनराशि का भुगतान प्राधिकरण को किया जा रहा है, ऋण लिए जो विलम्ब शुल्क की व्यवस्था की गई है वह प्राधिकरण स्तर पर की गई है और विलम्ब शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि प्राधिकरण किया जा सकता है, किन्तु योजना के आवंटित भवन की देय समस्त धनराशि को जमा करने के लिए अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2023 का

क्र०स०	पूर्व की व्यवस्था	वर्तमान व्यवस्था	टिप्पणी
प्रथम किश्त	आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर जमा न होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।	आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से दिनांक 30.09.2023 तक देय धनराशि जमा किये जाने पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जायेगा।	दिनांक 30-09-2023 तक प्रथम किश्त की धनराशि का भुगतान प्राधिकरण को नहीं किये जाने की दशा में आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा ऐसा आवास रिक्त घोषित हो जायेगा।
द्वितीय किश्त	आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से 03 माह के अन्दर जमा न होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।	आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से दिनांक 30.09.2023 तक देय धनराशि जमा किये जाने पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जायेगा।	दिनांक 30-09-2023 तक द्वितीय किश्त की धनराशि का भुगतान प्राधिकरण को नहीं किये जाने की दशा में विलम्ब शुल्क 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूली किया जायेगा। दिनांक 01-10-2023 से 31-12-2023 तक (03 माह के अन्दर) भी द्वितीय किश्त की देय धनराशि यदि आवंटी के द्वारा जमा नहीं की जाती है तब आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा ऐसा आवंटित आवास रिक्त घोषित हो जायेगा।

उक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।


 अधिकारी अधिकारी
 लैटिकर-स्लूली विकास प्राधिकरण
 छोड़ा

पत्रावली संख्या:-

2023

मद संख्या 78 (19)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद



अधिकारी अधिवेशन
परिषद्-समिति विभाग प्रभिकार
लैटर